निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1931 (श0)

(सं0 पटना 183) पटना, सोमवार, 4 मई 2009

सं०-एम-4-07/2009/3727/वि०(2)
वित्त विभाग

संकल्प
30 अप्रील 2009

विषय—विभिन्न न्यायिक वादो में सरकार की ओर से उत्तर समर्पित करने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का चयन करने की शक्ति ।

आए दिन विभिन्न न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध दायर न्यायिक वादो यथा सी0 डव्ल्यु0 जे0 सी0, सिविल सूट विवाचन इत्यादि में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा/उत्तर दायर करने में विभिन्न प्रशासनिक कारणों से विलम्व होने की सूचना प्राप्त होती है ।ससमय उत्तर दायर नही हो पाने पर सरकार को विषम स्थिति का सामना करना पडता है तथा कई वार माननीय न्यायालयो के द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाता है या फिर कतिपय मामलो में सरकारी विभागों/पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणिया दर्ज कर दी जाती है । यह स्थिति वांछनीय नही है ।

2. न्यायिक वादो में ससमय उत्तर दायर नही कर पाने के कारणो में वादो की अधिक संख्या, विभाग में तथ्य विवरणी तैयार कर सकने वाले पदाधिकारियों /कर्मचारियों की कमी तथा टंकक की अनुपलव्धता प्रमुख है । अतः सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सुयोग्य अधिवक्ताओं अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त अंग्रेजी जानने वाले सुयोग्य पदाधिकारियों/कर्मचारियो की एक सूची अपने स्तर पर तैयार कर सकेगें एवं तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे ।

इस प्रकार तैयार की गयी तथ्य विवरणी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा विभाग की ओर से दायर की जायेगा ।

इस प्रकार तथ्य विवरणी मूल न्यायिक वादो में उत्तर दायर करनें के अतिरिक्त न्यायिक मामलो में पूरक प्रतिशपथ पत्र/ उत्तर तैयार करने, किसी मामले में सरकार की ओर से ससमय

आवेदन पत्र दायर करने, आई0ए0 दायर करने, एल0पी0ए0 एवं एस0एल0पी0 आदि दायर करने के लिए भी तैयार कराई जा सकेगी ।

3. प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए संबंधित अधिवक्ता/सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को अधिकतम तीन सौ रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा तथा प्रारुप की अग्रेजी प्रति टंकित कराने हेतु (आशु लेखन सहित) अधिकतम एक सौ रुपये का भुगतान किया जा सकेगा जिसकी स्वीकृति देने हेतु सरकार के प्रधान सचिव/सचिव /प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी सक्षम होगें ।

4. यह भुगतान ''13 05 विधि प्रभार'' मद से किया जायगा । व्यय उपलव्ध वजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रहेगा ।

5. इस संबंध में अन्य विभागो द्वारा पूर्व निर्गत आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

अरुनीश चावला,

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 183-571+10-डी0टी0पी0।